वन विभाग, हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला

सी.18, वन भवन, सैक्टर-6, पंचकूला, दूरभाष 0172.2563988, 2563861 E-mail : cffcpanchkula@gmail.com

कमांक:- D-III-9020/583

दिनांकः- 07 06 2024

सेवा में

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।

विषय: Diversion of 3.5 ha. of forest land for laying of Sewerage pipeline along Agra Canal form Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and district Faridabad, Haryana (FP/HR/Others/41984/2019)-reg.

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 9-HRB120/2023-CHA दिनांक 12.06.2023

उपरोक्त संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि स्टेज–1 की अनुपालना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा कर दी गई है जोकि निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :–

- प्रस्ताव में सी0ए0 स्कीम अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रतिपूर्ति पौधारोपण, नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड व अन्य चार्जिज सहित कुल 13903767.23 / – रूपये की राशि केम्पा के लेखा में जमा करवा दी है । ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस "Paid" होने उपरान्त प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा अपेक्षित ऑनलाईन कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है।
- 2. FRA certificate की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
- 3. Undertaking of DFO की प्रति संलग्न है।
- 4. Undertaking of STATE CAMPA के सम्बन्ध में आपके कार्यालय में हुए विचार विमर्श अनुसार भविष्य में State CAMPA से सम्बन्धित शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में समायोजित कर ली जाए।

इसके अतिरिक्त क0संo 2 की अनुपलना रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। कृपया प्रस्ताव में स्टेज—ाा की स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

> अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी०ए०) हरियाणा, पंचकूला।

1020 Farilabad

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, फरीदाबाद

बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर-14, फरीदाबाद, दूरमाश 0129-2286760

हरियाणा सरकार

कमांक २७.5

दिनांक 19-6- २०२३

129

सेवा में

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०), हरियाणा, पंचकूला।

विषय Diversion of 3.5 ha. Of forest land for laying of sewerage pipe line along Agra Canal from Kheri village to Mirjapur village district Faridabad, State Haryana. Proposal No. FP/HR/Others/ 41984/2019

संदर्भ -MoEF&CC letter dated June, 2023

UNDERTAKING

इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति

पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला

जायेगा।

उप वन संरक्षक फरीदाबाद।

District Forest Officer

Diversion of 3.5 hectare of forest land for laying of sewerage along Agra canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

Online Proposal no. FP/HR/others/41984/2019

Sr. No.	Conditions Stipulated in Stage-I Forest Compliances Clearance
(A)	वे शर्ते, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :-
I	प्रयोक्ता एर्जेसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए। CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जा चुकी है। (विवरण के Annexure-A1 के रूप में प्रंतपूर्व है।)
Π	प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये। प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये। प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जा चुकी है। (विवरण के Annexure-A1 के रूप में संलग्न है।)
Ш	WP (C) No. 202 / 1995, IA No. 566 में WP (C) No. 202 / 1995, IA माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश No. 566 में माननीय दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, उच्चतम न्यायालय के एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं उच्चतम न्यायालय के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, जादेश दिनांक 30.10. वर्ड दिल्ली के निर्देश संख्या 2002, 28.03.2008, 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01. 2002, 28.03.2008 तथा 2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से परिवर्तन मंत्रालय, भारत प्रस्तावित वन भूमि 5.8 हेक्टेयर की नेट परिवर्तन मंत्रालय, भारत प्रार्जन्ट वेल्यू जमा करवाई जाये। 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि 5.8 हेक्टेयर की नेट नई दिल्ली के जिर्देश संख्या 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रत्वावित वन भूमि 3.5 हेक्टेयर की नेट प्रजेन्ट वेल्यू जमा करवाई जाये। (यिवरण के Annexure-A1 के रूप में संलग्न है।) प्रयोक्ता एजेंसी के दारा प्रयोक्ता एजेंसी के दारा प्रयोक्ता एजेंसी के दारा
IV	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि प्रयोक्ती एजसा पर क्रास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन सभी भुगतान राशि मंत्रालय की वेबसाइट <u>www.parivesh.nic.in</u> पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की
	NITINERADIAN EXECUTIVE ENGINEER M.C.F. MANOJ KUM

To,

	पर केवल ऑनलाईन माध्यम से Fund में जमा करवाएगी।	Campa	वेबसाइट <u>www.parivesh.nic.in</u> पर ऑनलाईन माध्यम से Campa Fund में जमा करवाई जा चुकी है। (विवरण के Annexure-A1 के रूप में संलग्न है।)
--	---	-------	--

v	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal	यह शर्त मान्य है तथा इस
	(<u>nup.//parivesh.nic.in</u>) में अपलोड की जायेगी।	शर्त का पालन प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा किया जायेगा।
VI	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाईन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किये जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किये जाते है। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-1 clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।	प्रतिपूरक शुल्क (साए लोगत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाईन उत्पन्न चालान के
VII	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिये S-1 से पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिये अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाये। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिये उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	Annexure-A2 के रूप में संलग्न है।
7111	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जायेगा।	यह शर्त मान्य है तथा इस सम्बंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने पत्र क्रमांक MCF/EE/(AMRUT)/2023/249 dated 09.08.2023 द्वारा जिला कलेक्टरेट, फरीदाबाद के कार्यालय से एफआरए प्रमाण पत्र की व्यवस्था करने के लिये संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी (फरीदाबाद) से अनुरोध किया है। पत्र की प्रति Annexure-A3 के रूप में संलग्न है। यह शर्त वन मंडल अधिकारी
x	वन मंडल अधिकारी यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस NITIK	यह शत वन मडल आवपार से सम्बंधित है तथा इस शर्त सिं KADIAN ENGINEER MANOJ KUM

कार्यालय सारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	का पालन वन मंडल अधिकारी के खारा किया जाना है।
---	--

X	नोडल अधिकारी (State Campa) यह लिखित आश्वासन (Undertaking) देंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवार्येगे।	हे तथा इस रात प्रम नोडल अधिकारी (State Campa) द्वारा किया जाना है।
(B)	वे शर्ते, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्र सौँपने के बाद फिल्ह में कडाई से पालन परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन प्रसतुत किया जाना है:-	करन पा जनुमोदन से पहले स्टेज–II अनुमोदन से पहले
I	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	Annexure-BI क राष पा संलग्न है।
П	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचाया जायेगा।	Annexule-D2 40 er
Ш	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित साएँ योजनी के अनुसार, degraded भूमि H43X7-Chainsa distributary RD 15-40, Faridabad, Haryana (Forest division, Faridabad) पर सीए किया जायेगा और धन उपयोग कर्ता एर्जेसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जायेगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे पतं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं	प्रतिपूर्ति पौधारोपण की धनराशि जमा करवाई जा चुकी है। (विवरण के Annexure-Al के रूप में संलग्न है।)
IV	विया जायेगा। वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	तथा इस शते को पोलन वन मंडल अधिकारी व द्वारा किया जाना है।
v	बदलेगे। नोडल अधिकारी (State Campa) यह सुनिचित करे कि इस कार्यालय द्वार स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त	से संबंधित है तथा इस
	NITI EXECU	ERABLY FREE BREADLY

J.E.(MCF)

Г	प्रतिपूर्ति पौधानेक	
VI	प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवार्येगे। राज्य अपन	अधिकारी के द्वारा किया जाना है।
	को सौंपने से पहले FSI के प्रयोक्ता एजेंसी पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिये स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files	यह शर्त राज्य सरकार से सम्बंधित है तथा इस शर्त का पालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है।
VII	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जारोज्य	
VIII	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब भी कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी जो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिये प्रयोक्ता एर्जेसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना प्रतितित्त करेंदे	रांलग्न है। इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B4 के रूप में संलग्न है।
IX	केन्द्रिय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नही किया जाएगा।	इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B6 के रूप में संलग्न है।
X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले आउट प्लान को बदला नही जाएगा।	इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B7 के रूप में संलग्न है।
XI	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक सिवीर नही लगाया जाएगा।	इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B8 के रूप में संलग्न है।
XII	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षरण पैमाना उपयोग किये जाएंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एर्जेंसी द्वारा वर्तमान दरो पर धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रभागीय वन अधिकारी
XIII	प्रयोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या वन पथ नही बनाया जाएगा।	इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B9 के रूप में संलग्न है।
XIV	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिको तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकलपिक इंधन उपलब्ध कराएगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B10 के रूप में संलग्न है।
XV	नुकसान तथा दबाव से बेयाया जा संबन्ध प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनसपति और प्राणी	Annexure-DII op eny on
		the
	1	sto mai
	NITIN	KADIAN

अंचुसार किया जाएगा। संसंग्र संग्रे प्रेपाल का की XIX इस प्रस्ताव की 99 वर्षों के लिए अखुमति अखुमति भारता सरकार से प्राप्त करनी की आवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पस के सी इस संबंध में वयनप्रत्र Annexure-B16 के रूप में रांतलन है। XX अल्य कोई भी शर्त इस भेत्रिय कार्यालय की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पस के सी की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के सर समापित इस संबंध में वयनप्रत्र Annexure-B16 के रूप में रांतलन है। XX अल्य कोई भी शर्त इस भेत्रिय कार्यालय सराय वन तथा वल्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-2 पर लगाई रांतलन है। इस संबंध में वयनप्रत संत्रान्त है। XX अल्य कोई भी शर्त इस भेत्रिय कार्यालय कारा वकत सा वल्य जीवो के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-2 पर लगाई रांतलन है। इस संबंध में वयनप्रत Annexure-B17 के रूप में संत्रानन है। XXI पवि कोई अल्य संबंधित अधिनियम/अनुप्रेद अति इस प्रस्ताय पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुमेवारी होगी। इहस संबंध में वयनप्रत Annexure-B17 के रूप स् संतर्का रात्र सरकाय सरका बारा किया जाएगा। XXII इनमें के किस्मी भी शत का उल्लंघन होगा तथा पर्यातरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेकित जावेगी। आप आप अर्थ के संक्रिय अर्थ के संबंध के याक्र संतरकार के स्त्रात्र के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।			
विष्ठ है जाएको और घाईप लाईन विष्ठ कर समलत किया जायेगा। प्रयावश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी अवुसार पर्यावरण अवुनति प्राप्त करेंकी अवुसार पर्यावरण अवुनति प्राप्त करेंकी आदाय पर्यावरण अवुनति प्राप्त करेंकी आदाय पर्यावरण अवुनति प्राप्त करेंकी आदाय पर्यावरण अवुनति प्राप्त करेंकी आयुसार किया जाएगा। XVII प्रद्रा कर्कट जिपताल जारी योजना के अवुसार किया जाएगा। इस संबंध में ववनप्रत्र तालक है। XIX इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अवुनति अवुनति भारत सरकार से प्राप्त करनी की अवधि, प्रायेका एजेंसी के पक्ष ने ती का भी भारत सरकार से प्राप्त करनी की अवधि, जो भी कम हो, के सह समाप्ति अत्यकती है। XX अल्व कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यातन बाता दानी दीज की अवधि या परयोन ता सकती है। XX अल्व कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यातन बाता वाता वन्द्र जीवे के पक्ष ने संकाल है। XX अल्व कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यातन बाता वाता वन्द्र जीवे के स्वता सार संकाल है। XX अल्व कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यातन बाता वकता देव समस्य 2 पर लगाई अति क्षेत्र प्रस्ताव पर लगाई है ते तात्व श्र प्रस्ताव पर लगाई हो है ते आदि इस प्रस्ताव पर लगाई हो है ते तात्व का अधीन जरुवे होती। XXI पवि कोई जिन्य संविधित आधिनियम/अवुष्ठि आदि इस प्रस्ताव पर लगाई हो होते। यह सर्त राज्य इस स्वा प्रायका अधिनियम, 1980 का उल्लंघन संवार को वात्वया की संवलन है। XXI इतर्ने देकिस्ती भी शर्त का उल्लंघन होगा तथा पर्यातरण, तन एवं जल्लाव से वात्वन है। अत्व क्या स्वं संवलन है। XXI इतर्ने से किस्ती भी शार्त का उल्लंघन होगा तथा पर्यातरण, तन एवं जल्लाव ते जाल्व है। अत्व का संवला हि का जलव ते जाल्य है। XXI इतर्ने से किस्ता हि का उल्ल		समुह के संरक्षण	
प्रयावश्यक हो तो प्रयोवला एजेंकी अनुसार प्रयोवश्य आवुमीति प्राप्त करेंगी। जावेगी। जावेगी। XVIII यहा ककट विपटान जारी योजना के आवुसार दिक्या जाएगा। आव संग्रे योजना के आवुसार किया जाएगा। कार्ट संवेध में वावनप्रज Annexue-B14 के उप मं रंतवन है। XIX इस प्रस्ताव की 99 वर्षों के लिए अवुमति अवुमति भारत सरकार ये प्राप्त करनी को अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में ती अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में वी अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में दी की अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में वी अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में दी की अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में दी की अवधि प्रयोवला एजेंसी के पक्ष में दी का सकती है। XX अन्व कोई भी शर्त इस के अधान करना का सकती है। इस संबंध में ववनप्रज Annexue-B16 के ठप मं संत्वनन है। XX अन्व कोई भी शर्त इस के स्वत्व गार्य का सकती है। इस संबंध में ववनप्रज Annexue-B17 के रूप में Annexue-B17 के रूप में Annexue-B18 के रूप मं Annexue-B18 के रूप मं का पालन राज्य सरका सरकार की जिन्मेवारी तोगे। XXI इस में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा तथा पर्यावर्य, यन एव जलवायु परिवर्तन नंत्रालय के Hadobox of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखिन जायेगी। अर्थ अर्थ А. NITTIN KADIAN MA	XVI	परिकार की सहायता करेगी। पाईप लाईन जमीन के 1.5 नी त	
XVIII प्रद्वार कर्कट निपटान जारी योजना के सिंग्यं कर्कटनें। Annexure-B14 के रूप में संवय के विचया जाएगा। XIX इस प्रस्ताय को 99 वर्षों के लिए अबुमति अत्र संबंध में वरवनप्रश्न प्रवान की जाएगी, इसके उपयान पुनः यह सिंग्यं में वर्यनप्रश्न Annexure-B15 के रूप में संवय में वर्वनप्रश्न Annexure-B15 के रूप में संवय में वर्वनप्रश्न Annexure-B15 के रूप में संवय में वर्वनप्रश्न Annexure-B16 के रूप में संवय में वर्वनप्रश्न Annexure-B17 के रूप में संवयनप्रश्न Annexure-B17 के रूप में संवय में वर्वनप्रश्न Annexure-B17 के रूप में संवयनप्रश्न प्रश्न के अधीन जरती अखिनियन/अनुखेर संखिय ते तथा सरका रं संखिय के तथावनप्रश्न प्रश्न के अधीन जरती होगी। XXI यदि कोई अन्य संबंधित्य अधिनियन/अनुखेर संखिय के तथान्य सरका रं संख्य में विर्वायनप्रश्न प्रश्न कि किछ्यों भी शत का उल्लंघन वन संरका संरक प्रा प्रति ते तथा संरका रं संख्य में वरवनप्रश्न Annexure-B18 के रूप संरक्ष संरक्ष अधीनियम, 1980 का उल्लंघन वन संरका संरक्ष प्रश्न किंग गालग पर्यातर, यन पर्य जल्या संरक्ष के तथानुर तथा लाएगा। XXII इनर्व से किटनी भी शत का उल्लंघन वन संरक्ष के वर्वनप्र प्रं प्रियत्तन नंशलय के सिंग्र वर्व का उल्लंघन तरिंग तथा जाएगा A	XVII	प्रयावर्ग्ण (हो तो प्रयोग के	इस संबंध की सारी शर्ते हमारे द्वारा पूर्ण की जायेगी। इस संबंध में का
XIX \$# प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी की अवधि, जो भी कम हो, के यह समाप्ति Annexure-B15 के रूप में रंतन्न है। XX अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा यन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, उपका तथा विकास हेतु समय-2 पर लगाई इस संबंध में ववनप्रज तत्वा सकती है। XX अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रिय कार्यालय द्वारा यन तथा वन्य जीवो के संरक्षण, जा सकती है। इस संबंध में ववनप्रज तत्वा तथा वन्य जीवो के संरक्षण, जा सकती है। XXI यति कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुष्ठेद अनवे अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिन्मेवारी होगी। इस प्रसंबंध में ववनप्रज तत्वा पालन राज्य सरकार द संबंधित है, तथा इस प्रस का पालन राज्य सरकार सरकार की जिन्मेवारी होगी। XXII इन में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिदेश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अपि आर्य प्रस्तिया भा राय क्रियाग्रिया NITTIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEE MA	XVIII	कुडा कर्क विजयातरण अनुमति प्राप्त करेंगी।	Annexure-B14 के रूप में संलग्न है।
Side abig all end set all act and act and act and act and a big all act and act		इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एर्जेसी के पक्ष मे दी जाने वाली लीज की अवधि या परयोना की अवधि, जो भी कम हो, के सह समाप्ति	Annexure-B15 के रूप में संलग्न है। इस संबंध में वचनप्रत्र Annexure-B16 के रूप में संलग्न है।
भाष प्रभुष अन्य संबंधित अधिनियम/अनुष्टेद यह शर्त राज्य सरकार र न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताय पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। यह शर्त राज्य सरकार र संबंधित है, तथा इस शत का पालन राज्य सरका होगा तथा पर्यावरे होगी। XXII इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। स्म प्राया भाषा स्म प्रमान कार्यवाहा की स्म प्रमान कार्यवाहा की NITTIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEER MA		जा सकती है।	Annexure-B1/क रूप म संलग्न है।
इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में वचनप्र Annexure-B18 के रूप क संलग्न है। अग्र स्वाहित्त (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित विशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अग्र आपारां स्वाहित्व आप क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र आप क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार्यवाही की जायेगी। NITTIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEER MA		आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	का पालन राज्य सरकार दारा किया जाएगा।
STATE ENGINEER	XXII	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conversion Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाही की	Annexure-B18 के रूप में संलयन है।
CHIVE ENGINEED		F	the m
W. C. F.			KADIAN MAN E ENGINEER .C.F.

Scanned with ACE Scanner

J.E.(MCF)

हरियाणा सरकार गई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर–14, फरीदाबाद, दूरमाष 0129–2286760E-mail diofbd2@gmail.com कार्यालय उप वन संरक्षक फरीदावाद

कमांक 451

दिनांक 14/8/23

सेवा में.

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०, हरियाणा, पचंकूला।

विषय

Diversion of 3.5 ha. of forest land for laying of sewerage pipe line along Agra Canal from Kheri village to Mirjapur village district Faridabad, State Haryana. Proposal No. FP/HR/Others/ 1984/2019.


2) उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में स्टैज–1 की परमीशन प्राप्त हो चुकी है। यूजर ऐजेंसी द्वारा दिनांक 04.08.2023 को NEIT / RTGS के माध्यम से रूपये 1,39,03,767.23 / – की राशि कैम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई है। कार्यकारी अभियन्ता, AMRUT, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उक्त केस में एन0 ओ0 सी0 प्रदान करने का अनुरोध किया है। यूजर ऐजेंसी द्वारा दिया गया पत्र मूल रूप में आपको भेजते हुये अनुरोध सहित लिखा जाता है कि उक्त केस में एन0ओ0सी0 / वर्किंग परमीशन / स्टैज-11 की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। संलग्न/उपरोक्त।

उप वन संरक्षक, फरीदावाद

O Scanned with OKEN Scanned

	AGENCY COPY		
1.	est.	" Julen Light,	
	America	. 19 1 - 1 ⁹ -	
	NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Fund Date : 30-06-2023		
	Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD HARYANA	
	Application No.	19941984703	
	MoEF/SG File No.	9-HRB120-2023-CHA	
	Location.	HARAYANA	
13 Crach Miller From 13 Crach Company From 14 2 Crach Company From 1	Address.	Executive Engineer, Municipal Corporation, Faridabad, Haryana.Faridabad	
E A Complete Far	Amount(in Rs)	13903767.23/-	
RECEIS	Amount in Words One Seven Hundred and Sixty NEFT/RTGS to be details;	Crore Thirdy-Nine Lakh Three Thousand -Seven Rupees Only	
3080755.	Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA	
210	IFSC Code:	UBIN0996335	
400 755.	Pay to Account No.	1506919941984703 Valid only for this challan amount.	
	Bank Namo & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027	

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Nell_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS419842019703



This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

CS CamScanner

AI

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -A2

UNDERTAKING

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that there is no such proposal pending with this circle to comply with the condition of S-1 approval.

Signature of User Agency EXECUTIVE ENGINE M.C.F





Municipal Corporation, Faridabad B.K. Chowk N.I.T Fandabad -121001, He Tel. 10129-2411649, 2411664, 2415540 Fax (0120-2418465

To,

District Forest Officer. Faridabad, Haryana

Memo No.- MCF/EE (AMRUT)/2023/249

Dated:-09.08.2023

Sub- Augmentation and Providing Sewerage System in Faridabad Town Part -A (Construction of 2 MPS with main connecting sewer) along with O&M for 5 years under AMRUT Program-

Regarding issue of NOC for laying of 1800mm dia sewer line along Agra Canal.

Ref:- Your office memo no.490 Dt.- 19.06.2023.

Kindly refer to your office memo no. vide which it is intimated that Rs.1,39,03,767.23/- has been deposited to Campa fund on dt.-04.08.2023 through NEFT/ RTGS. The detail of challan of this amount is enclosed.

You are requested to issue the NOC for laying 1800mm dia sewer line along Agra Canal.

Executive Engineer, AMRUT, Municipal Corporation, EXECUTIVE Faridabad

Copy to for information & necessary action please:- M.C.F.

- 1. Commissioner, MCF
- 2. Chief Engineer, MC, Faridabad
- 3. Superintending Engineer, MCF
- 4. Executive Engineer-II, DULB
- 5. Team Leader, Wapcos Ltd. Panchkula
- 6. Support Engineer, Wapcos Ltd. Faridabad

Faridabad stepping towards Smart City

CS CamScanner

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B1

UNDERTAKING FOR NO CHANGE IN LEGAL STATUS OF THE FOREST LAND

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the legal status of the forest land shall remain unchanged.

Signature of User Agency

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B2

UNDERTAKING

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the number of proposed trees / plants to be cut shall not exceed in any way the number shown in the proposal and there will be no harm to wildlife during the felling of trees.

Signature of User Agency NITIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B3

UNDERTAKING FOR NOT USING THE FOREST LAND FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT SHOWN IN THE PROPOSAL

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the forest land will not be used for any purpose other than that shown in the proposal.

Signature of User Agency NITIN KADIA EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B4

UNDERTAKING FOR ADDITIONAL AMOUNT OF NPV

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that as per the order of the Honorable Supreme Court, whenever the amount of NPV will be increased, the user agency will be bound to deposit the increased amount of NPV in the account of CAMPA Haryana.

Signature of User Agency

NITIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEEF M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B6

UNDERTAKING FOR FOREST LAND BE NOT TRANSFERRED

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the forest land proposed for transfer will be not e transferred to any other agency, department or individual under any circumstances without the prior permission of the Government.

Signature of User Agency

EXECUTIVE ENGINEER

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B7

UNDERTAKING FOR NOT CHANGING THE LAYOUT OF THE PROPOSAL

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the layout plan of the proposal will not be changed without the permission of central Government.

Signature of User Agency NITIN KADLAN EXECUTIVE ENGINE MC.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B 9

UNDERTAKING FOR NOT SETTING UP THE LABOUR CAMP

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that no labour camp of any kind will e set up on forest land.

Signature of User Agency EXECUTIVE ENG

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B9

UNDERTAKING FOR NO CONSTRUCTION OF NEW ROADS IN FOREST AREA

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that no additional or new road will be constructed inside the forest area for transportation of construction material for the execution of the project work.

Signature of User Agency NITIN KADIAR EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B10

UNDERTAKING FOR PROVIDING ALTERNATIVE FULE

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the user agency will preferably provide alternate fuel to the workers and staff working at the site so that adjacent area can be protected from any kind of damage and pressure.

Signature of User Agency NITIN KADIA EXECUTIVE ENGINEER M.C.F

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B11

UNDERTAKING FOR PROVIDING ASSISTANCE TO THE STATE GOVERNMENT

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the user agency will assist the state Government in the conservation and preservation of the flora and fauna of that area as per the plan prepared by the Chief Wildlife warden of the state.

Signature of User Agency KADIAN EXECUTIVE ENGINEER MCF

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B14

UNDERTAKING FOR OBTAINING ENVIRONMENTAL CLEARANCE AS PER ENVIRONMENT (PROTECTION) ACT 1986

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that if necessary, the user agency will obtain environmental clearance as per Environment (Protection) act 1986.

Signature of User Agency EXECUTIVE ENGI MCF

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B-15

UNDERTAKING FOR GARBAGE DISPOSAL

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the garbage disposal will be done as per that plan.

Signature of User Agency NITIN KADIAR EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B16

UNDERTAKING

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, under take this proposal will be given permission for 99 years, after which this permission will have to be obtained again from the Government of India and the period of diversion under this approval will co-exist with the period of lease granted in favor of the user agency or the period of the project, whichever is less.

Signature of User Agency EXECUTIVE ENGINE M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B17

UNDERTAKING FOR COMPLYING ANY OTHER CONDITION IMPOSED BY FOREST DEPARTMENT

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that any other conditions imposed by forest department from to time for the conservation protection and development of forests and wild animals will be complied by user agency.

Signature of User Agency

EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B18

UNDERTAKING REGARDING VIOLATION OF ANY OF THESE CONDITIONS

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that Violation of any of these conditions will be a violation of the forest Conservation Act, 1980 and the guidelines mentioned in the Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and forest Conservation Rules, 2003 (guidelines & clarifications), 2019 of the ministry of Environment, Forest and climate Change 1.21 Action will be taken accordingly.

Signature of User A EXECUTIVE ENGL MCF

online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B13

UNDERTAKING FOR INSTALATION OF SPEED REGULATING SIGNAGES

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that Speed regulating signage will be installed on the road side at regular intervals in protected areas / forest areas will be complied by user agency.

Signature of User Agency NITIN KADIA EXECUTIVE ENGINEER

Online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure - B12

UNDERTAKING FOR DEMARCATION OF FOREST LAND

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that the boundaries of the transferred forestland will be marked by forest land.

> Signature of User Agency NITIN KADIAN EXECUTIVE ENGINEER M.C.F.

online Proposal no. FP/HR/Others/41984/2019

Annexure -B5

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION

I Nitin Kaidan, Executive Engineer, AMRUT, MCF on behalf of Municipal Corporation Faridabad, applied for Diversion of 3.5 Hectare of Forest Land for laying of sewerage along Agra Canal from Kheri Village to Mirzapur District Faridabad (Haryana).

I hereby on behalf of Municipal Corporation Faridabad, undertake that as per the guidelines of IRC, strip plantation will be done the user agency on both sides and middle part of the road.

Signature of User Agency EXECUTIVE ENGINEER

DEPUTY COMMISSIONER

हरियाणा सरकार बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर-14, फरीदाबाद, दूरमाघ 0129-2286760 email ID-dfofbd2(agmall.com रमरण पत्र-1

> 26.12-2023 विनांक/

कमांक/ 1338

सेवा में

विषय :

उपायुक्त,

To issuing certificate of FRA under FCA Act, 1980- Diversion of 3.5 Ha of forest land for laying of Sewerage pipe along Agra Canal from Kheri village to Mirjapur village district Faridabad State Haryana, under Forest Division and

इस कार्यालय का पत्र कमांक 63 दिनांक 19.04.2023 के निरन्तर में। उपरोक्त विषय के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा विषयांकित केस में एफ०आर०ए० सर्टीफिकेट संदर्भ मांगा गया है। अतः आपको पत्र के साथ पुनः संलग्न एफ०आर०ए० सर्टीफिकेट भेजकर अनुरोध किया जाता है कि एफ0आर0ए0 सर्टीफिकेट जारी करके इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ताकि उक्त केस में एफ0आर०ए० सर्टीफिकेट उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।

संलग्न/उपरोक्त।

fort.

उप वन संरक्षक, फरीदाबादे।

COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DISTRICT COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT : - Diversion of 3.5 Ha of forest land for laying of Sewerage pipe along Agra Canal from Kheri village to Mirjapur village district Faridabad State Haryana, under Forest Division and District Faridabad *falls within jurisdiction of Kheri Village to Mirjapur village(s) in Faridabad tehsil(s)*

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

District Collector. Faridabad

Dy. Conservator of Forests